

(2) (2)

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मन्त्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 73-30/2012/20-3

भोपाल, दिनांक .....

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
पीति विहार, नई दिल्ली।

विषय :-

अशासकीय शिक्षण संस्था हिन्दुपत पठ्ठिक स्कूल संघर्ष जिला गुनाहगढ़ दर्ते  
सीबीएसई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्राप्ति-पत्र देने के संबंध  
में।

— 0000 —

राज्य शासन द्वारा तिथ्याकित संस्था द्वारा आवेदन न्यू एवं इन्ड्या पत्र के  
आधार पर संस्था को कक्षा 1 से 6 तक सीबीएसई से सम्बद्ध हेतु यह अनापत्ति  
प्राप्ति-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-


- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्ध निलंबने के दृष्टरात दी  
संस्था/समिति द्वारा मप्र शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय हर र समय-  
समय पत्र शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जनके निर्देशों का पालन  
किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी गुना(हस्त) अथवा  
उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्भिलित करना हरा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार  
क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से वृत्त्या होगी तथा इस  
संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर  
जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के सचिवपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(दीएस.डाकर)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

19.6.2023

  
Principal  
Hindupat Public School  
Raghogarh, Distt. Guna (M.P.)

  
Secretary  
HINDUPAT PUBLIC SCHOOL  
Raghogarh, Guna (M.P.)

11211

पृष्ठ ०१ एफ. क्रमांक एफ ७३-३०/२०१२/२०-३

भोपाल, दिनांक १९.६.१२

प्रतिलिपि :-

सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था, हिन्दुपत पालिक स्कूल रघुगढ़ जिला गुना,  
म.प्र. को सीबीएस.ई. से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न  
शर्तों पर प्रदान की जाती है :—

- (1) संस्था सीबीएस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका  
परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायगा।
  - (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या  
शयथ-पत्र नें दो गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं  
करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर तिस गए निर्देशों का  
उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिवग्रहण जांच में सही जाये जाने पर राज्य  
शासन द्वारा पाची अचाप्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2— आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र.  
3— जिला शिक्षा आयिकारी, जिला गुना, म.प्र.  
4— ऑर्डर बुक।

अधर संचित

प्रधानप्रदेश शासन स्कूल विभाग  
१९.६.१२

23/05/2023